



परिवहन विभाग

हर सफर का हमसफर...



HSRP नंबर प्लेट लगाये बिना डीलर नहीं कर सकेंगे वाहन की डिलीवरी

सभी वाहनों में HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाना अनिवार्य है।

बिना HSRP नंबर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर क्या है दंड का प्रावधान

- ❖ वाहन डीलर का यूजर आईडी और पासवर्ड ब्लॉक कर दिया जायेगा।
- ❖ संबंधित डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
- ❖ वाहन विनिर्माता पर भी कार्रवाई की जायेगी।



नए वाहन में Hsrp और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने के लिए डीलर द्वारा वाहन केता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।